कर्मचारी भविष्य निधि में मालिकों का अंशदान

2294. **श्री शिवनारायण सरसूनिया :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि कार्यालयों में कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने पर 15 वर्ष के बाद ही मालिक का पूरा अंशदान दिया जाता है, जबकि अन्य प्रतिष्ठानों में पांच साल की नौकरी के बाद ही मालिक का पूरा अंशदान दिया जाता है ;

(ख) जो मालिक का अंशदान काटा जाता है और कर्मचारी को नौकरी छोड़ने पर नहीं मिल पाता, उसकी अब तक कुल रकम कितनी है और उसे किस लेखा शीर्ष में रखा जाता है; और

(ग) इस अंशदान का कर्मचारियों को क्या लाभ दिया जाता है और यदि नहीं, तो क्या उन्हें भविष्य में इसका लाभ दिया जायेगा ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1960 के विनियम 16 की एक प्रति, जिसके अन्तर्गत त्याग-पत्र दिए जाने की सूरत में भुगतान को नियंत्रित किया जाता है, सभा पटल पर रखी गयी है । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए** संख्या LT --577/77]

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और वह यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी नहीं । इस समय कोई प्रसुविधा देने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में नियुक्तियां

2295. **श्री शिवनारायण सरसूनिया :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में नियुक्तियां केवल रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही हो सकती हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में अनेक नियुक्तियां रोजगार कार्यालय के माध्यम से नहीं की गई है और क्या पदोन्नति बिना परीक्षा के की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा):

(क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Refugees from Bangladesh

2296. SHRI C. K. CHANDRAPPAN:
SHRI M. N. GOVINDAN NAIR:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to send back Bangladesh refugees who came over to India after the military coup in that country;